समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व आयोग, ग्वालियर

निगरानी कमांक – /2014 R-1276-II/14

आवेदकगण : 1. शेख महबूब मंसूरी पिता शेख सकूर, उम्र 60 वर्ष,

2. शेख महफूज मंसूरी पिता शेख महबूब, उम्र 35 वर्ष,

दोनों निवासी– पुरानी चुंगी, मुख्य मार्ग, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदक : अताउर्रहमान पिता स्व. अब्दुल रहमान, अध्यक्ष दर्शगाह स्कूल, अंसार नगर चौपड़ा गोहलपुर (अंजुमन नरूल इस्लामिया) जबलपुर (म.प्र.)

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 129(3) भू–राजस्व संहिता 1959

अनावेदक द्वारा तहसीलदार पनागर के समक्ष प्रस्तुत सीमांकन आवेदन मौजा कुदवारी प.ह.नं. 24, रा.नि.मं. महाराजपुर, नं.बं. 503, खसरा नं. 84 का भाग 84/3, रकबा 1.240 हेक्टेयर में से 0.400 हेक्टेयर पर सीमांकन कराये जाने का आदेश दिनांक 02.04.2014 प्राप्त किया गया, जिसकी दिनांक 30.04.2014 तक हल्का पटवारी से सीमांकन कर प्रतिवेदन मंगाया गया है, उक्त सीमांकन आदेश से असंतुष्ट होकर तथा संबंधित रकवे में हितबद्धता रखने के कारण आवेदक के द्वारा तहसीलदार पनागर के समक्ष आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसे निरस्त करते हुए तहसीलदार पनागर ने सीमांकन किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त प्रकरण की विषय वस्तु में समाहित त्रुटियों की जांच किये जाने हेतु यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4 APR 2014

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 1276–दो/14 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–5–16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 9–4–14 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	